अज अदालत न्यायालय उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुरसिटी

श्रीमती अमरबाई बनाम कमलादेवी वगैरा

किस्म मुकद्मा दावा नम्बर 48 संन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जरी हुए
11.06.2015	वादीया अमरबाई पत्नि बृजलाल जाति मीना निवासी किरवाडा तहसील टोडाभीम की ओर से हमारे समक्ष श्री अवधेश त्रिवेदी एडवोकेट ने दावा पेश किया । वादी वकील को सुना गया। दावां दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलवी कर पत्रावली दिनांक 29.06.2015 को पेश हो।	
29-6-15	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली दि० 14-7-15 कैम्प उदेईकलांपर को पेश हो। प्रति०नं० 1 की ओर से श्री सतीशचन्द शर्मा अि० ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। रीडर	6345-46 3/7/15
14-7-2015	पत्रावली आज लोक अदालत शिविर उदेईकलां में पेश हुई। वादिया अमरबाई व प्रतिवादीया कमलादेवी उपस्थित है। दोनों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख०नं० 6057 रकबा 35 स्यर ग्राम उदेईकलां मे प्रतिवादिया कमलादेवी पत्नि उम्मेदसिंह मीना का $\frac{1}{4}$ हिस्सा तथा वादिया अमरबाई पत्नि बृजलाल का $\frac{3}{4}$ हिस्सा दर्ज रहेगा। इसी अनुसार हमारा राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कर दिया जावे। प्रस्तुत राजीनामे पर दोनो पक्षो को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति विक्रयपत्र दि० 23-5-03 व 25-7-08 का	अमरबाई

अवलोकन किया गया। राजीनामा के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख०नं० 6057 रकबा 35 एयर ग्राम उदेईकलां में वादिया श्रीमती अमरबाई का $\frac{3}{4}$ हिस्सा व प्रतिवादिया कमलादेवी का $\frac{1}{4}$ हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रा० फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Gang Pd (गंगाप्रसाद गुप्ता) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी	(रवि कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी	(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) उदेईकलां

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

श्रीमती अमरबाई पत्नि बृजलाल, मीना निवासी किरवाडा तहसील टोडाभीम ––वादिया

बनाम

1. कमला देवी पत्नि उम्मेदसिंह, मीना निवासी सालोदा पावर हाउस के सामने, गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं. – 48/2015

वादिया की ओर से वादिया श्रीमती अमरबाइ व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कमलादेवी की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 14.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 6057 रकबा 35 एयर ग्राम उदेईकलां में वादिया श्रीमती अमरबाई का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादिया कमला देवी का 1/4 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 14.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमेश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड	